जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/84 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 27 जून 2021

भाग-3

हे रघुवीर!!!

आखिर कब बाईजी की कोठी,दूरदर्शन के पास,

कल्ली के भट्टों,झालाना डूंगरी

की करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन पर

हो चुके अवैध कब्जे हटाये जाएंगे??

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जे.डी.ए. के ज़ोन 1 में झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन का मामला

यह कहानी जे.डी.ए. के ज़ोन 1 में झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन की है,सांगानेर तहसील मे स्थित राजस्व ग्राम झालाना डूंगर के खसरा न.26,28,29 मे स्थित इस जमीन को कल्ली के भट्टों के लिए तत्कालीन नगर परिषद द्वारा किराए पर दिया गया था|जिसे कालांतर मे रिन्यू नहीं करने से यह पुनः सरकार मे निहित हो गयी|

इस जमीन पर बरसों से भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि गढ़ी हुई है,विगत 10 सालों में इस सरकारी जमीन पर कई बार बस्तियां बसाने की कोशिशे की जा चुकी है और कई बार जे.डी.ए. इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चूका है|

वर्ष 2016 मे जेडीए ने यहा पर बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 50 अवैध घरों को तोड़ा था लेकिन भूमाफियाओं और जे.डी.ए. अधिकारीयों की मिलीभगत का नतीजा देखिये ,अवैध कब्जे हटाने के कुछ ही दिन बाद यहाँ पर पुनः बस्ती बस गयी|वर्तमान मे यहाँ पर पुनः 50 से अधिक अवैध निर्माण जिनमे फैक्ट्रियां,गोदाम,मकान,दुकान शामिल है,बन चुके है|लेकिन जेडीए के अधिकारी केवल 18 नोटिस देने की बात ही कर रहे है|

ज्ञातवय हो कि बार बार कब्जो से आजिज़ होकर इस सरकारी जमीन के चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए ज़ोन उपायुक्त कई बार प्रवर्तन शाखा को लिख चुके है लेकिन प्रवर्तन शाखा है कि इस बात पर कान ही नहीं धरती|

सैंकड़ों शिकायतों के बावजूद ज़ोन 1 के अधिकारी/कर्मचारी इस पत्रावली को जानबूझ कर दबाये बैठे है|

हम झालाना डूंगरी बाई जी की कोठी के आम जनता आपसे सहयोग की उम्मीद करते है तथा उम्मीद करते है कि आप यह भू–माफियायों के बलात कब्जे से मुक्त करा देगे। (भू–माफिया श्रवण मीणा, कैलाश मीणा,

इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की तमाम शिकायतें घूम-फिर कर ज़ोन प्रवर्तन 1 के कार्यालय मे पहुचती है,लेकिन जैसा कि होता आया है ज़ोन मे वर्षो से कब्जा जमाये संविदा कर्मचारी उन शिकायतों को दफ्तर दाखिल कर देते है|रही सही कसर पुलिस विभाग से आने वाले धुरंधर पुलिस अधिकारी कर देते है,उच्चाधिकारियों द्वारा इस मामले मे जवाबतलब करने पर बड़ी चतुराई से धारा 72 के नोटिस दिये जाने का हवाला देकर मामले को टाल देते है|संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी करीब एक लंबे अरसे से धारा 72 के नोटिस दिये जाने की बात ही दोहरा देते है|जबकि धारा 72 के तहत जवाब देने की मियाद को गुजरे एक अरसा हो गया है|यदि नहीं हमारे द्वारा जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारियाँ मांगी गयी तो उसे भी प्रवर्तन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा रही है|

aipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Enforcement) , Enforcement Officer 1	, , ,	Remarks	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस ज़ारी किये जा चुके है अग्रिम कारवाही प्रकियाधिन है
aipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Enforcement) , Enforcement Officer	, , ,	Partially Closed :Relief	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस ज़ारी किये जा चुके है अग्रिम कारवाही प्रकियाधिन है

बड़े भूमाफिया का है काम

सूत्रों के अनुसार इस सरकारी जमीन पर कब्जे के पीछे कैलाश मीणा,श्रवण मीणा नामक स्थानीय गुंडे/हिस्ट्रीशीटर का हाथ है,जो जे.डी.ए. अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर इस सरकारी जमीन पर पट्टे काट कर बेच देते है|ज़ोन-1 कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं मे भी कई शिकायतकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है|इन लोगो को कई बार जेडीए मे भी ज़ोन के कर्मचारियों के साथ देखा जा सकता है|

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी को बदलने के बावजूद हालात जस के तास

जैसा कि जानकारी मे आया है कि ज़ोन के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को उनके विरुद्ध आई शिकायतों के चलते इस ज़ोन से हटा दिया गया है परंतु उनके हटने से भी नए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास प्रतिलक्षित नहीं हो रहे है|

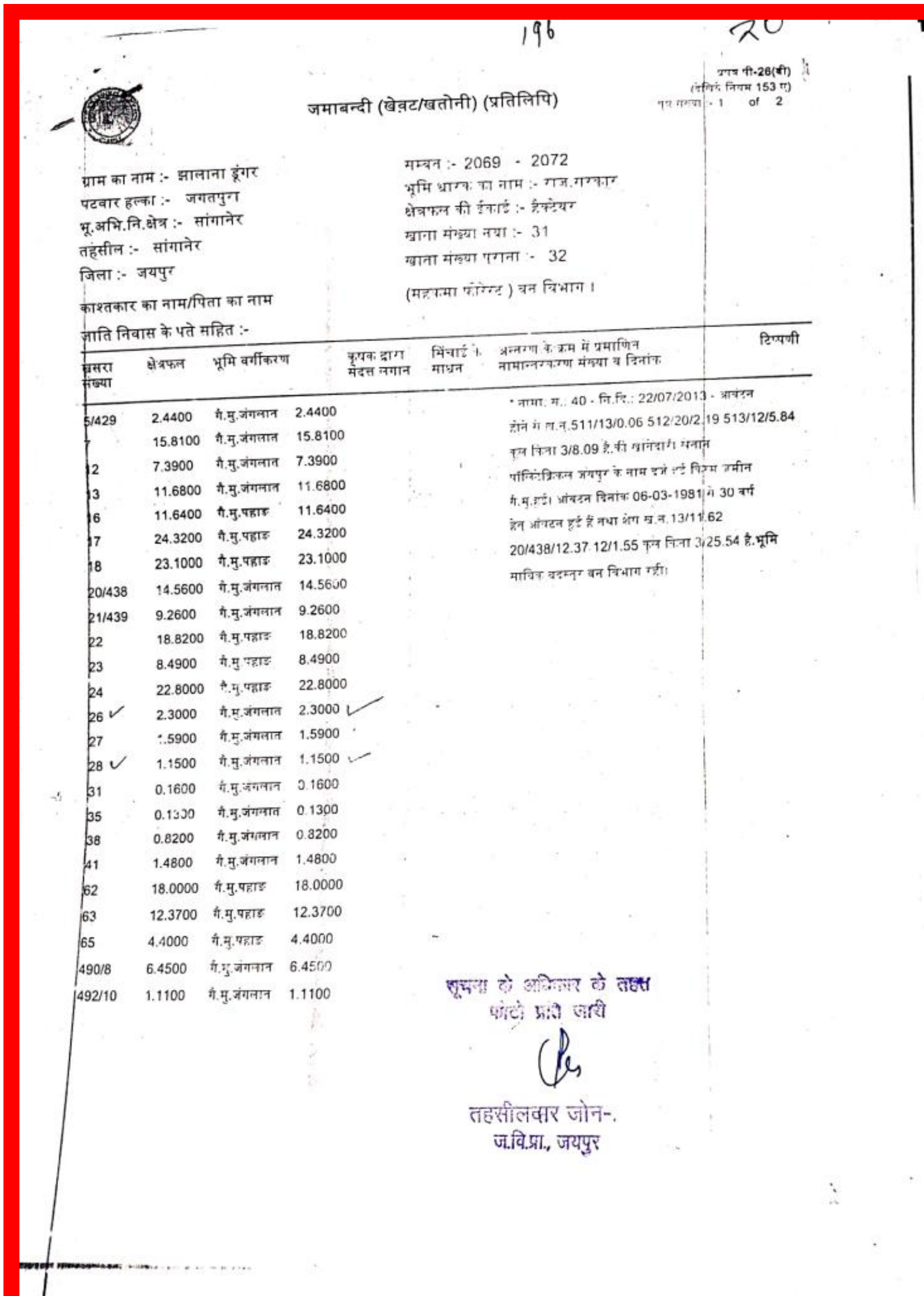

196 20

प्रपत्र पी-26(बी)
(देखिये नियम 153 ग)
पृष्ठ संख्या - 1 of 2

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- झालाना डूंगर
पटवार हल्का :- जगतपुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर
काश्तकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित :-

सम्वत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 31
खाता संख्या पुराना :- 32
(महकमा फोरेस्ट) वन विभाग ।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
5/429	2.4400	गै.मु.जंगलात	2.4400				
7	15.8100	गै.मु.जंगलात	15.8100				
12	7.3900	गै.मु.जंगलात	7.3900				
13	11.6800	गै.मु.जंगलात	11.6800				
16	11.6400	गै.मु.पहाड़	11.6400				
17	24.3200	गै.मु.पहाड़	24.3200				
18	23.1000	गै.मु.पहाड़	23.1000				
20/438	14.5600	गै.मु.जंगलात	14.5600				
21/439	9.2600	गै.मु.जंगलात	9.2600				
22	18.8200	गै.मु.पहाड़	18.8200				
23	8.4900	गै.मु.पहाड़	8.4900				
24	22.8000	गै.मु.पहाड़	22.8000				
26 ✓	2.3000	गै.मु.जंगलात	2.3000 ✓				
27	1.5900	गै.मु.जंगलात	1.5900				
28 ✓	1.1500	गै.मु.जंगलात	1.1500 ✓				
31	0.1600	गै.मु.जंगलात	0.1600				
35	0.1300	गै.मु.जंगलात	0.1300				
38	0.8200	गै.मु.जंगलात	0.8200				
41	1.4800	गै.मु.जंगलात	1.4800				
62	18.0000	गै.मु.पहाड़	18.0000				
63	12.3700	गै.मु.पहाड़	12.3700				
65	4.4000	गै.मु.पहाड़	4.4000				
490/8	6.4500	गै.मु.जंगलात	6.4500				
492/10	1.1100	गै.मु.जंगलात	1.1100				

* नामा. न.: 40 - नि.दि.: 22/07/2013 - आवंटन होने से ख.न.511/13/0.06 512/20/2.19 513/12/5.84 कुल किता 3/8.09 है. की खातेदारी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के नाम दर्ज हुई किस्म जमीन गै.मु.हुई। आवंटन दिनांक 06-03-1981 से 30 वर्ष हेतु आवंटन हुई है तथा शेष ख.न. 13/11.62 20/438/12.37 12/1.55 कुल किता 3/25.54 है.भूमि माफिक बदस्तूर वन विभाग रही।

सूचना के अधिकार के तहत फोटो प्रति जारी

तहसीलदार जोन-,
ज.वि.प्रा., जयपुर

आखिर समझ से बाहर है कि बड़े-बड़े अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को हटाने का दावा करने वाले प्रवर्तन विभाग के आला अधिकारी इस बेशकीमती सरकारी को खाली क्यूँ नहीं करवा पा रहे है|

patrika.com **सिटी पत्रिका** patr

जयपुर, शुक्रवार, 18.03.2016

बड़ी कार्रवाई } जेडीए ने झालाना बायपास पर 15,000 वर्ग गज सरकारी जमीन भूमि पर चलवाया बुलडोजर

मुक्त कराई बेशकीमती जमीन

भारी पुलिस जाब्ते के बीच 50 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त, 18 दुकानें भी सील

सुबह विरोध और शाम को लोगों ने किया पथराव, 9 गिरफ्तार

जयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

झालाना से अपेक्स सर्किल रोड पर सौ करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार कीमत की सरकारी जमीन को आखिरकार जेडीए ने मुक्त करा लिया। 400 पुलिसकर्मियों के जाप्ते के साथ गुरुवार को जेडीए का बुलडोजर गरजा। दस्ते ने यहां 50 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त कर दिए। इनमें तीन मंजिला निर्माण भी शामिल है। अलसुबह से शुरू कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। इस कार्रवाई से बिफरे लोगों ने सुबह विरोध और शाम को पथराव कर दिया। मौके पर भगदड़ सी मच गई। हालांकि पुलिस कर्मियों ने लोगों को खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया। फिर पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बेशकीमती जमीन को बेचकर लोगों को ठगने वाले लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं। जमीन का क्षेत्रफल करीब 15 हजार वर्गगज है।

जबरन घर से निकाला

कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने घर से जबरन बाहर निकालना शुरू किया। एक महिला के कपड़े तक फट गए। इसके बाद उसी हाल में उसको बस में बैठाकर हिरासत में ले लिया। कार्रवाई से पहले पुलिस ने मकानों में घुस कर सर्च अभियान भी चलाया।

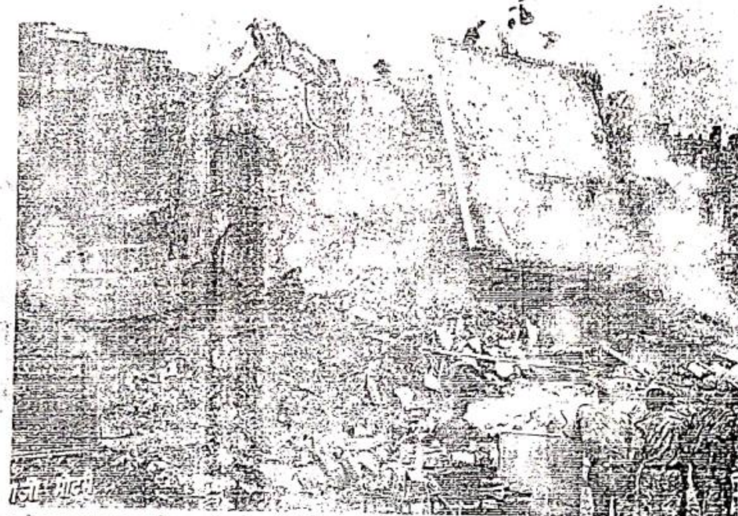

करीब एक अरब रुपए की सरकारी जमीन को जेडीए ने गुरुवार को अतिक्रमियों से मुक्त कराया। करीब 400 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर ने 50 से अधिक भवनों व इमारतों को जमींदोज कर दिया।

राजस्थान पत्रिका

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर।

नगर निगम ने भी लिया कब्जा

निगम ने टावर योजना, आमेर में 5 भूखंडों से अतिक्रमण व अवैध निर्माण ध्वस्त किया। जोन उपायुक्त आलोक मेहता के नेतृत्व में भूखण्ड संख्या 7 ए, 8 ए, 8 सी, 51 बी व 52-बी की कीमत करीब 3 करोड़ है। अतिक्रमियों ने चारदीवारी बनाकर कमरे बना लिए थे। दस्ते ने सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यहां फेंसिंग की जाएगी।

घंटों लगा रहा जाम आमजन परेशान

ओटीएस मार्ग से गांधी सर्किल होते हुए झालाना बायपास की ओर जाने वाले यातायात को डायवर्ट कर दिया। इस कारण एक तरफा यातायात जाम हो गया। लोग जाम में घंटों फंसे रहे। अरण्य भवन से ट्रैफिक को मालवीय नगर की ओर नहीं जाने दिया। वाहनों को दिल्ली बाईपास होकर निकाला।

इसलिए 18 दुकानों पर कार्रवाई

- झालाना बायपास पर 100 फीट सड़क चौड़ाई में अवैध तरीके से बड़े स्तर और नई व्यवसायिक गतिविधि पर 18 दुकानों को सील कर दिया।
- आवासीय में ही व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होने से सुगम यातायात संचालन बाधित हो रहा था।

सुलगते सवाल

- भूमाफिया, जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई क्यों नहीं
- यहां कली-भट्टों के लिए जमीन करीब 30 वर्ष के लिए लीज पर दी थी। लीज अवधि भी करीब दो दशक पहले समाप्त हो गई। भूमाफिया जमीन को बेचकर रफूचक्कर हो गए या भूखण्ड काटकर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल चला।
- निगम ने भूमाफिया के इशारे पर न केवल सीवरेज लाइन बिछा दी, बल्कि सड़क निर्माण भी करा दिया। स्थानीय पार्षद निगम अफसरों पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि अफसरों ने पार्षद की अनुशंसा पर काम होने का दावा किया।
- जनता को सरकारी जमीन बेच ठगने वाले भूमाफिया और यहीं सुविधाएं विकसित करने वाले निगम अफसर व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती रही।

बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी

जमीन को विकसित करने की योजना की जा रही है। सरकारी जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके लिए उच्चाधिकारियों से चर्चा की है। जमीन की सुरक्षा के लिए बोर्ड लगवा दिए हैं। तारबंदी होगी।

विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त, जेडीए

जेडीए अतिक्रमण हटाने के दौरान दोहरी नीति से काम कर रहा है। इससे जनता भ्रमित हो रही है। कार्रवाई से पहले जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अर्चना शर्मा, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष

(14)

तहसीलदार जोन-

राजस्थान पत्रिका मे दिनांक 18/03/2016 को प्रकाशित खबर

376

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ.नोट

विषयः—झालाना डूंगर क्षेत्र में झालाना रोड पर कली—भट्टों की पर पुनः अतिक्रमण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 27.07.2017 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''जिम्मेदार ही खुर्द—बुर्द करने पर उतारू 100 करोड़ की जमीन'' के क्रम में झालाना बाईपास रोड, कली—भट्टा का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर अतिक्रमण पाया गया। उक्त अतिक्रमण को पूर्व हटाया जा चुका है किन्तु पुनः अतिक्रमियों द्वारा वापस अतिक्रमण कर लिया गया है। अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रोफार्मा (नजरी नक्शा) में अंकित कर दिया गया है। अवैध अतिक्रमण को अविलम्ब ध्वस्त करने इस कार्यालय पूर्व यू.ओ.नोट क्रमांक डी—2922—23 दिनांक 27.07.2017 द्वारा भी लिखा गया था। किन्तु आज दिनांक तक उक्त अतिक्रमण हटाकर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है। प्रकरण राजस्थान सम्पर्क पार्टल पर दर्ज होकर प्राप्त हुआ है, जिसमें नियत समय सीमा 23.10.2017 अंकित है। अतः अविलम्ब उक्त अतिक्रमण हटाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन—1
जविप्रा, जयपुर।

प्रवर्तन अधिकारी, जोन—1
जविप्रा, जयपुर।

....

यू.ओ.नोट. क्रमांकः—जविप्रा/उपा.1/16/डी— 4053-54
दिनांकः— 26.10.17

प्रतिलिपिः—मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवर्तन अधिकारी को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

सूचना के अधिकार के तहत
फोटो प्रति जारी

तहसीलदार जोन-

उपायुक्त, जोन—1
जविप्रा, जयपुर।

D/Subhas/all u.o.note

2017 मे इस जमीन पर पुनः हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए ज़ोन उपायुक्त द्वारा प्रवर्तन शाखा को लिखा गया पत्र

689 129

झालाना डूंगरी जयपुर में भट्टा नं.2,5,3, में जारी किये गये धारा 72 के [illegible]

सूचि

क्र.सं.	धारा	दिनांक	नाम व पता	नोटिस का विवरण
1	72	15.03.2016	मदन बलाई, भट्टा नं. 2 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान निर्माण।
2	72	15.03.2016	फूलचन्द बलाई भट्टा नं. 2 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान निर्माण।
3.	72	15.03.2016	नाथुलाल कुमावत भट्टा नं. 5 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	60 इन्दू 90 फीट पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।
4.	72	15.03.2016	देवाराम महावर भट्टा नं. 5 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	13 इन्दू 35 फीट पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।
5.	72	15.03.2016	रतन लाल स्वामी पुत्र श्री घनश्यामदास भट्टा नं. 5 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
6.	72	15.03.2016	खेमराज गवेन्द्रा पुत्र श्री ब्रजमोहन गवेन्द्रा भट्टा नं. 5 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
7.	72	15.03.2016	हनुमान प्रजापत पुत्र श्री गोविन्दराम भट्टा नं. 5 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
8.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
9.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
10.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
11.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
12.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्दू 30 फीट पर मकान का निर्माण।

प्रमाणित प्रतिलिपि

2016 मे इस जमीन पर कब्जेधारियों को दिये गए 25 नोटिसों की सूची,15/03/2016 को दिये गए इन नोटिसों के जारी होने के दो दिन मे ही इन पर जेडीए द्वारा कार्यवाही कर दी गयी थी|

690 1726

13.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
14.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
15.	72	15.03.2016	नामालुम, भट्टा नं. 5, के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
16.	72	15.03.2016	कैलाश मीणा, पुत्र श्री गोपीराम मीणा, झालाना डूंगरी, जयपुर।	30 इन्टू 50 फीट में भूतल पर 4,5 कमरें व प्रथम मंजिल पर 4,5 कमरें का निर्माण।
17.	72	15.03.2016	नाथूलाल सैनी, पुत्र श्री सुण्डाराम जी, भट्टा नं. 2 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	80 इन्टू 60 फीट पर भट्टा नं. 2 का निर्माण।
18.	72	15.03.2016	श्रीमति कुसुमलता अग्रवाल, पत्नि श्री राजकुमार गुप्ता, भट्टा नं. 13 के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।	60 इन्टू 80 फीट पर भट्टा नं. 13 का निर्माण।
19.	72	15.03.2016	राजकुमार अग्रवाल, पुत्र श्री संतकुमार जी, भट्टा न. 3 झालाना डूंगरी जयपुर।	80 इन्टू 70 फीट में भट्टा नं. 3 का निर्माण।
20.	72	15.03.2016	फूलवती देवी, पत्नि श्री मोहर सिंह भट्टा न. 2 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
21.	72	15.03.2016	सुरेश कुमार भट्टा न. 2 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
22.	72	15.03.2016	रजनी वर्मा भट्टा न. 2 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
23.	72	15.03.2016	पवन कुमार, भट्टा न. 2 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
24.	72	15.03.2016	नरेश कुमार भट्टा न. 2 के पास झालाना डूंगरी जयपुर।	15 इन्टू 30 फीट पर मकान का निर्माण।
25.	72	15.03.2016	देवेन्द्र कुमार भट्टा न. 2 के पास झालाना	15 इन्टू 30 फीट पर मकान

प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना अधिकार के अन्तर्गत
सम्पत्ति अधिकारी जोन
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
फोटो प्रति जारी

(10)

लॉकडाउन मे भी मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व मे लगातार हटाये जा रहे है कृषि भूमि और सरकारी भूमि से अतिक्रमण और अवैध निर्माण|

इस लॉक डाउन मे जब पूरा प्रदेश बंद है और लगभग सभी सरकारी कार्यालय भी बंद है वही दूसरी और जेडीए की प्रवर्तन शाखा मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व मे लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने मे लगी हुई है|ऐसे मे ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी झालाना क्षेत्र के अवैध निर्माणों के संदर्भ मे इस बात का बहाना नही बना सकते है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी इस सरकारी जमीन को खाली करवाने के सार्थक प्रयास क्यूँ नहीं कर रहे है?
2. उनके द्वारा कितने अतिक्रमियों को धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए गए है?
3. उनके द्वारा धारा 72 के नोटिस जारी किए कितना समय हो चुका है?
4. जब 2016 मे धारा 72 के नोटिस जारी करने के महज 2 दिन मे जाइंट ऑपरेशन करके इस सरकारी जमीन को खाली करवा दिया गया था तो अब इस सरकारी जमीन को खाली करवाने मे क्या समस्या आ रही है?क्या प्रवर्तन अधिकारी पर कोई राजनैतिक दबाव है या फिर भूमाफियाओं से साँठ-गांठ का नतीजा?

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ.नोट

विषयः–झालाना डूंगर क्षेत्र में झालाना रोड पर कली–भट्टों की जमीन की फैसिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 27.07.2017 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "जिम्मेदार ही खुर्द–बुर्द करने पर उतारू 100 करोड़ की जमीन" के कम में झालाना बाईपास रोड, कली–भट्टा का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर अतिकमियों द्वारा लगातार अवैध अतिकमण किया जा रहा है। जिसको को पूर्व में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा हटाया जा चुका है। अतः झालाना बाईपास स्थित कली–भट्टों की जमीन की फैंसिग कर (लगभग 1200 फीट लम्बाई) अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट. कमांकः–जविप्रा/उपा.1/17/डी– 2921
दिनांकः– 27.7.17

5. कौन है यह भूमाफिया जो बार बार इस जमीन पर पट्टे काट कर बेच रहे है?आखिर उनके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही क्यूँ नहीं कर रहा है जेडीए?
6. ज़ोन के संविदाकर्मियों से इन भूमाफियाओं की क्या साँठ गांठ है?
7. आखिर ज़ोन उपायुक्त के निर्देशों के बावजूद इस जमीन की फेंसिंग क्यूँ नहीं करवाई जा रही है?
8. करोड़ो की सरकारी जमीन को भूमाफिया के हाथों खुर्द-बुर्द करने का दोषी कौन?
9. नए प्रवर्तन अधिकारी के आने के बावजूद वह इस पत्रावली पर हाथ क्यूँ नहीं धर रहे है,जबकि मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर हमे इस सरकारी जमीन को खाली करवाने के लिए आश्वस्त कर चुके है|